

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

सद्वनादेशों के तदनुसार विधि-वत बरवापन
 है। बाता तब तक प्रत्येक सद्वनादेश का
 प्रत्येक इन्च की शक्ति या बराबर का एक
 होता है। प्रमाण के कोई तथ्य सापेक्ष नहीं
 आये। ऐसे में जमीन के पक्ष में जारी निष्पत्ति
 आदेश को शूल गार के विधि वत कम्पनी
 किया जाता व्यापारित उचित होता है।

उक्त निष्पत्ति के आधार पर
 जमीन के पक्ष में शिकं 2011/24 को
 जारी इन्चगत आदेश को शूल गार के
 निष्पत्ति कम्पनी किया जाता है। पत्रावली
 फॉर्मले में सुप्रा देकर शूल गार के साथ
 सभान रही। आदेश सुनपावला



उपखण्ड अधिकारी
 रायसहनगर